रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937
No. 222] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/ MAGHA 7 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

का.आ. 251(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य, रायपुर प्रभाग, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह अपने समृद्ध पर्यावास के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राणी और वनस्पति हैं, जिसके अंतर्गत तेंदुआ, जंगली भैंसा, सलोथ भालू, सांभर, ब्लू बुल, चित्तीदार हिरण, बारकिंग हिरण, हिना, भेडिया, गीदड़, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, नेवला, खरगोश, सामान्य लंगूर, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, आदि हैं । यह महानदी और उसकी सहायक नदियों – बालमदेही और जोंक नदियों पर जल आवाह क्षेत्र का भी निर्माण करता है । बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य 244.66 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य, महानदी और उसकी सहायक नदियों – बालमदेही और जोंक नदियों पर जल आवाह क्षेत्र का भी निर्माण करता है ;

और, बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के विस्तार के साथ 93.997 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है (जिसके अंतर्गत 81.86 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन और संरक्षित वन हैं) ।

(2) बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिक संवेदी जोन $21^{0}18'$ 09" से $21^{0}30'$ 26" उत्तरी अक्षांश और $82^{0}21'$ 08" से $82^{0}34'$ 13" पूर्वी देशांतर के बीच आता है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 21 ग्रामों अर्थात् अचानकपूर, भीनमोरी, धवलपुरा, धेबीखार1, धाटमुरवा, गिधपुरी, जामहर2, जामहर7, जामहर8, जोगीदीपा, खुरमुरी, कोंजिया, लद्दाह, मोहदा, नवागांव, पाकरीद, फुरफुन्दी, रावन, साहियाभाटा, तालदादार, तेन्दुछुआ हैं ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र सीमा के ब्यौरों और अक्षांश और देशांतर सहित **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के ब्यौरे जीपीएस निर्देशांकों के निबंधनों में **उपाबंध-II** के रूप में उपाबध्द है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिसूचना में दिए गए उपदर्शों का अनुपालन करते हुए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी ।

(4) आचंलिक महायोजना उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) शहरी विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिक ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;

(viii) छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया जाए और उक्त आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का सुधार करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने का सुनिश्चय करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 10, 21, 26, 27, और 28 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं,

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 3 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनके परिरक्षण और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंच लिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव-निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट - पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय यातायात - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इकाईयां –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
(क)प्रतिषिध्द क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है।

		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
5.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	जब तक कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुज्ञात न किया जाए, पहाड़ी ढलानों पर एक से दस ग्रेडियंट और किसी नदी और प्राकृतिक नाले/धाराओं/नहरों/ सहायक नदियों के किनारों से 100 मीटर तक नए संनिर्माण कार्यकलापों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्लास्टिक बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(ख) विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना की अनुसार होगा।

12.	खंदक भूमि।	नए खंदक भूमि की स्थापना प्रतिषिद्ध है। पुराने खंदकों को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
13.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
14.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	भू-जल की निकासी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
18.	प्रवासी चारागाहे।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	विद्यमान प्रतिष्ठापन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विद्युत लाइनों का पृथक्करण ।	भूमिगत केबलीकरण का संवर्धन। सभी विद्यमान विद्युत लाइनें, जो पारिस्थितिक संवदी जोन से गुजर रही हैं, का पर्याप्त इंशुलेशन आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय-सीमा में किया जाएगा।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
24.	जैविक खेती।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा।
27.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
28.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	प्रभागीय आयुक्त, रायपुर	अध्यक्ष
(ii)	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य
(iii)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर	सदस्य
(iv)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	कार्यपालक इंजीनियर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड	सदस्य
(vi)	कलेक्टर, बलोदाबाजार	सदस्य
(vii)	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	सदस्य
(viii)	अधीक्षण इंजीनियर, पीएचई, रायपुर	सदस्य
(ix)	नगर और देश योजना का प्रतिनिधि	सदस्य
(x)	उप वन अधिकारी, बलोदाबाजार	सदस्य
(xi)	मुख्य वन परिरक्षक, वन्यजीव	सदस्य-सचिव

6. निर्देश निबंधन :

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/151/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध–I

बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र

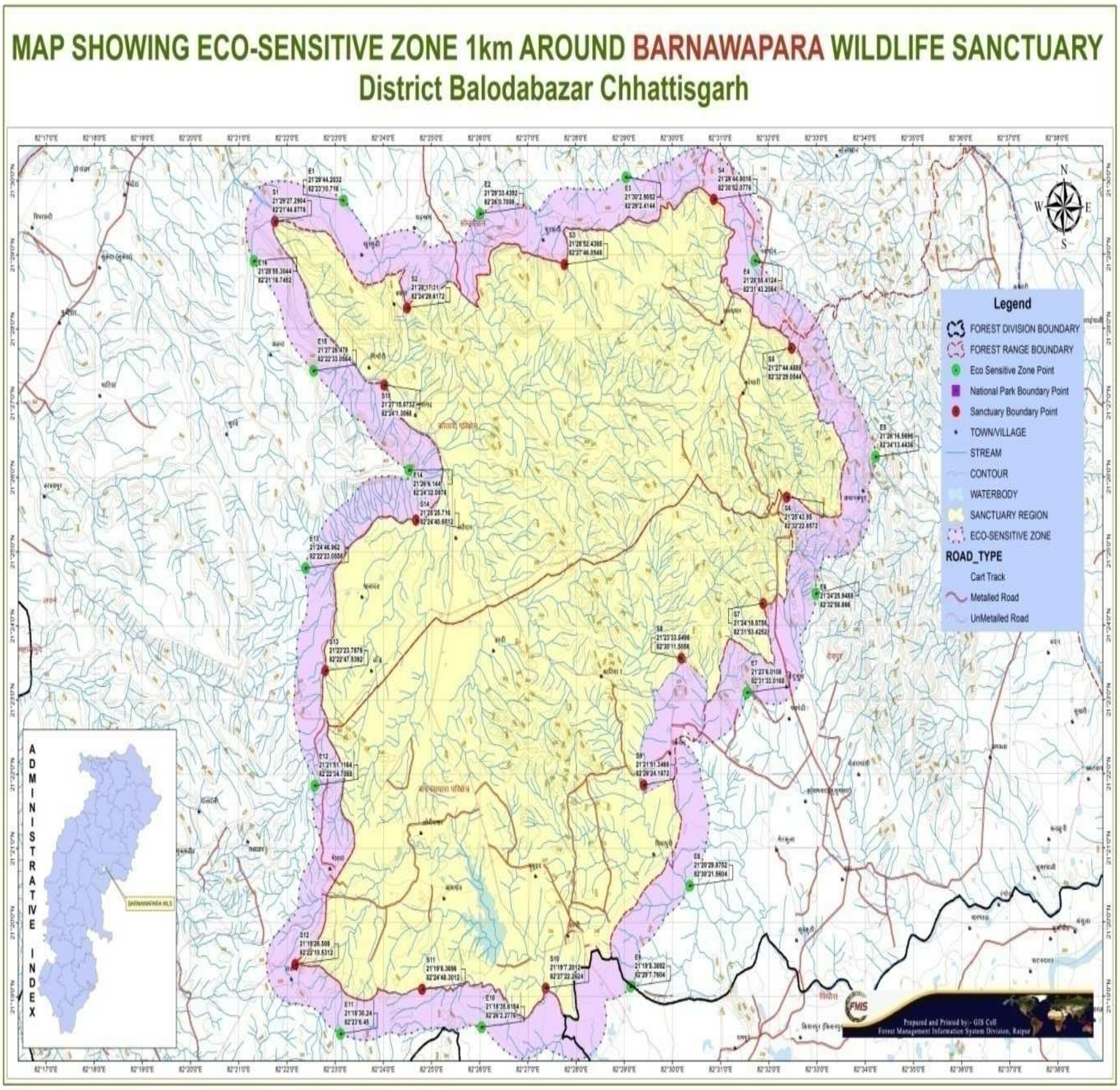

उपाबंध II

बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य के जी पी एस निर्देशांक के साथ अक्षांश , देशांन्तर का वर्णन

क्र सं	अभयारण्य /एन पी नाम	वर्णन	प्रकार	अक्षांश(डी एम एस)	देशांन्तर (डी एम एस)
1	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस1	21°29'27.2904	82°21'44.8776
2	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस2	21°28'17.31	82°24'29.6172
3	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस3	21°28'52.4388	82°27'46.0548
4	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस4	21°29'44.9016	82°30'52.0776
5	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस5	21°27'44.4888	82°32'29.0544
6	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस6	21°25'43.95	82°32'22.6572
7	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस7	21°24'18.0756	82°31'53.4252
8	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस8	21°23'33.8496	82°30'11.5056
9	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस9	21°21'51.3468	82°29'24.1872
10	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस10	21°19'7.2012	82°27'22.2624
11	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस11	21°19'6.3696	82°24'48.3012
12	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस12	21°19'26.508	82°22'10.5312
13	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस13	21°23'23.7876	82°22'47.5392
14	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस14	21°25'25.716	82°24'40.6512
15	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस15	21°27'15.0732	82°24'1.3068

बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के जी पी एस निर्देशांक के साथ अक्षांश , देशांन्तर का वर्णन

क्र सं	अभयारण्य /एन पी नाम	वर्णन	प्रकार	अक्षांश(डी एम एस)	देशांन्तर (डी एम एस)
1	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई1	21°29'44.2032	82°23'10.716
2	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई2	21°29'33.4392	82°26'0.7008
3	बारनावापारा वन्य जीव	अभयारण्य बिंदु	ई3	21°30'2.9052	82°29'2.4144

	अभयारण्य				
4	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई4	21°28’55.4124	82°31’43.2084
5	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई5	21°26’16.5696	82°34’13.4436
6	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई6	21°24’25.9488	82°32’58.866
7	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई7	21°23’6.0108	82°31’33.0168
8	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई8	21°20’29.8752	82°30’21. 5604
9	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई9	21°19’8.3892	82°29’7.7604
10	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई10	21°18’35.6184	82°26’2.2776
11	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई11	21°18’30.24	82°23’6.45
12	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई12	21°21’51.1164	82°22’34.7088
13	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई13	21°24’46.962	82°22’23.0556
14	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई14	21°26’6.144	82°24’32.0976
15	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई15	21°27’26.478	82°22’33.0564
16	बारनावापारा वन्य जीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	ई16	21°28’55.3044	82°21’18.7452

उपाबंध III

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा- पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत महायोजना पर्यटन भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।

6. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2016

S.O.251(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Barnawapara Wildlife Sanctuary is located in Raipur Division, District Balodabazaar, Chhattisgarh and is an important protected area known for its rich habitat consisting of a variety of flora and fauna including leopard, Bison, Sloth Bear, Sambhar, Blue Bull, Spotted Deer, Barking Deer, Hyeana, Wolf, Jackal, Fox, Jungle Cat, Mongoose, Hares, Common Langur, Wild Dog, Wild Boar, etc. It forms a watershed for the River Mahanadi and its tributaries – the Balamdehi and Jonk rivers. The Barnawapara Wildlife Sanctuary is located at a distance of about 100 kilometre from Raipur. The Barnawapara Wildlife Sanctuary is spread over an area of 244.66 square kilometres;

AND WHEREAS, the Barnawapara Wildlife Sanctuary forms a watershed for the River Mahanadi and its tributaries – the Balamdehi and Jonk rivers;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area surrounding the protected area the extent and boundaries of the which is specified in paragraph 1 of this notification around the the protected area of the Barnawapara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point

of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto one kilometre from the boundary of Barnawapara Wildlife Sanctuary in district Balodabazaar, in the State of Chhattisgarh as the Barnawapara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) **The Eco-sensitive Zone spread over an area of** 93.997 square kilometre (this includes 81.86 square kilometres of Reserve Forest and and Protected Forest) with an extent upto one kilometres from the periphery of the Barnawapara Wildlife Sanctuary.

(2) The Eco-sensitive Zone of Barnawapara Wildlife Sanctuary lies between 21^0 18' 09" N to 21^0 30' 26" N latitude and 82^0 21' 08" E to 82^0 34' 13" E longitude.

(3) A total of 21 villages, namely Achanakpur, Bhinmori, Dhawalpura, Dhebikhar1, Ghatmurwa, Gidhpuri, Jamhar2, Jamhar7, Jamhar8, Jogidipa, Khurmuri, Konjia, Ladadih, Mohda, Nawagaon, Pakrid, Phurphundi, Rawan, Sahiyabhata, Taldadar, Tenduchhua fall within Eco-sensitive Zone.

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure-I**.

(5) The boundary details of Barnawapara Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone in terms of GPS coordinates are given in **Annexure-II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(viii) Chhattisgarh Environment Conservation Board,

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use:-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10,21,26,27,28 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local Amenities,

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs:-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism:-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment Government of Chhattisgarh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within 1 kilometre from the boundary of the Barnawapara Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage:-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and proper plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites:-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution:-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents:-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes:-** Disposal of solid wastes shall be as under.- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste:-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**:- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and shall be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 gradient and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallahs/ streams/ canals/ tributaries.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Undertaking activities related to tourism like flying over the Sanctuary Area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

B. Regulated activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 500 metre from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
12.	Trenching ground.	Establishment of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of effluents treated in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest lands or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
24.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
25.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
26.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
27.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
28.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
29.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Chattisgarh, which shall comprise of the following namely:-

(i)	Divisional Commissioner, Raipur	-	Chairman
(ii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of one year in each case.	-	Member
(iii)	Chief Executive Officer of District Panchayat, Raipur	-	Member
(iv)	One representatives of Non-governmental Organisation working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Chattisgarh for a period of one year in each case.	-	Member
(v)	Executive Engineer, Chhattisgarh Environment Conservation Board	-	Member
(vi)	Collector, Balodabazar	-	Member
(vii)	Superintendent Engineer, Public Works Department, Raipur	-	Member
(viii)	Superintendent Engineer, Public Health Engineering, Raipur	-	Member
(ix)	Representative of Town and Country Planning	-	Member

(x) District Forest Officer, Balodabazar - Member

(xi) Chief Conservator of Forest Wildlife - Member-Secretary

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14^{th} September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14^{th} September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31^{st} March of every year by 30^{th} June of that year to the Chief Wildlife warden of the State as per proforma given in **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/151/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BARNAWAPARA WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

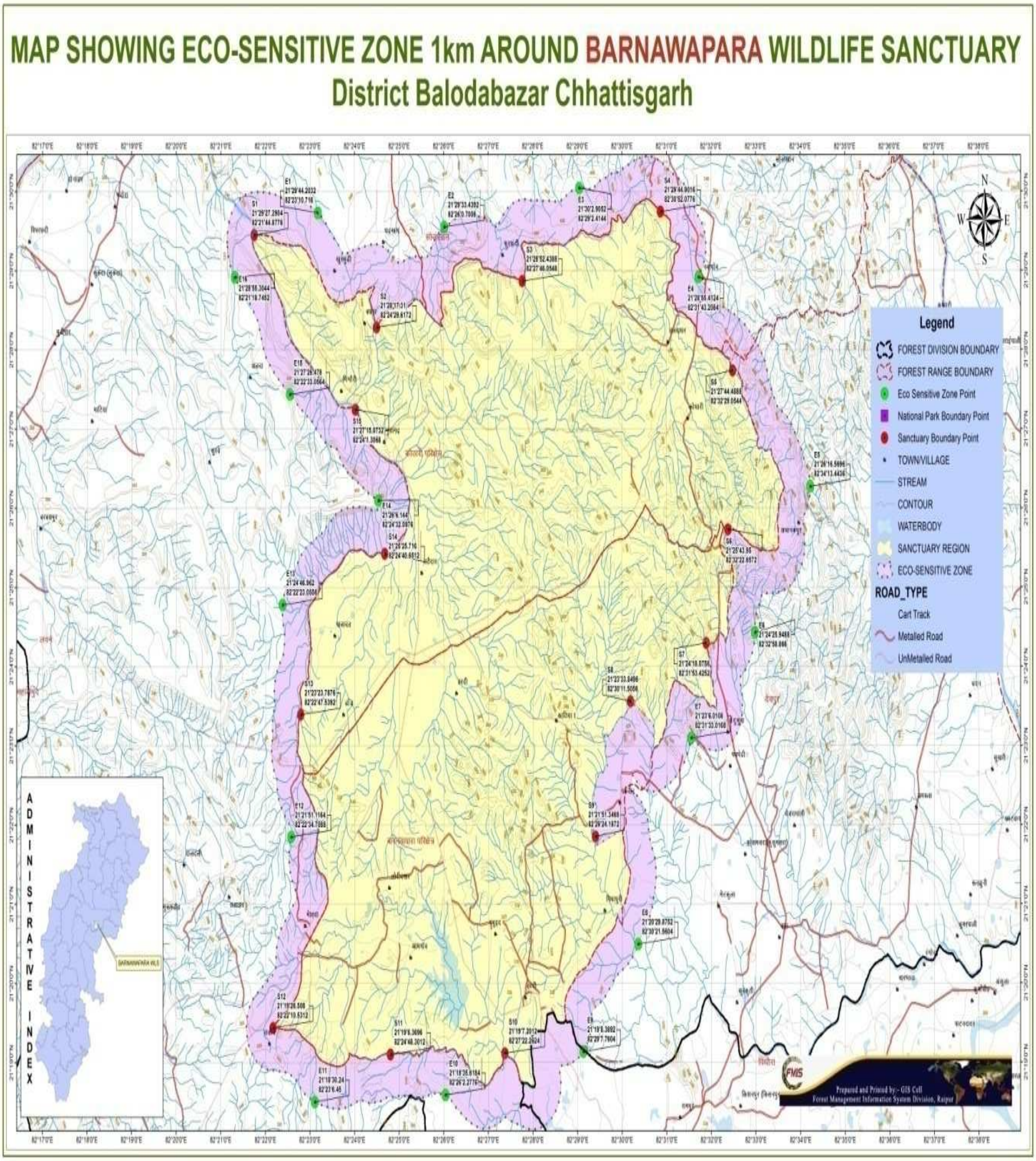

ANNEXURE-II

Boundary details of Barnawapara Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone

Barnawapara Wild Life Sanctuary with GPS Co-ordinates with Latitude Longitude details

SI.No.	Sanctuary/NP Name	Description	TYPE	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S1	21°29'27.2904	82°21'44.8776
2	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S2	21°28'17.31	82°24'29.6172
3	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S3	21°28'52.4388	82°27'46.0548
4	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S4	21°29'44.9016	82°30'52.0776
5	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S5	21°27'44.4888	82°32'29.0544
6	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S6	21°25'43.95	82°32'22.6572
7	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S7	21°24'18.0756	82°31'53.4252
8	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S8	21°23'33.8496	82°30'11.5056
9	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S9	21°21'51.3468	82°29'24.1872
10	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S10	21°19'7.2012	82°27'22.2624
11	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S11	21°19'6.3696	82°24'48.3012
12	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S12	21°19'26.508	82°22'10.5312
13	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S13	21°23'23.7876	82°22'47.5392
14	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S14	21°25'25.716	82°24'40.6512
15	Barnawapara WLS	Sanctuary Point	S15	21°27'15.0732	82°24'1.3068

Barnawapara Wild Life Sanctuary – Eco-sensitive Zone
GPS Co-ordinates with Latitude Longitude details

SI. No.	Sanctuary Name	Description	TYPE	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E1	21°29'44.2032	82°23'10.716
2	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E2	21°29'33.4392	82°26'0.7008
3	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E3	21°30'2.9052	82°29'2.4144
4	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E4	21°28'55.4124	82°31'43.2084
5	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E5	21°26'16.5696	82°34'13.4436
6	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E6	21°24'25.9488	82°32'58.866
7	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E7	21°23'6.0108	82°31'33.0168
8	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E8	21°20'29.8752	82°30'21.5604
9	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E9	21°19'8.3892	82°29'7.7604
10	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E10	21°18'35.6184	82°26'2.2776
11	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E11	21°18'30.24	82°23'6.45

12	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E12	21^o21'51.1164	82^o22'34.7088
13	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E13	21^o24'46.962	82^o22'23.0556
14	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E14	21^o26'6.144	82^o24'32.0976
15	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E15	21^o27'26.478	82^o22'33.0564
16	Barnawapara WLS	Eco Sensitive Point	E16	21^o28'55.3044	82^o21'18.7452

ANNEXURE-III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.